टी०ए० मिस केस सं0 421/2019-20

	आदेश	अभ्युक्ति
03 2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (1)बाल्डबिन चाम्पिया, पिता–स्व० आर्थर चाम्पिया एवं (2) रिजनोल चाम्पिया पिता–स्व० एवियल रोनाल्ड चाम्पिया ग्राम–तुईबीर, थाना– मुफ्फसिल जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– तुईबीर थाना नं0 126 के अन्दर खाता न0 109, प्लॉट न0 1469 रकवा कमशः 0.07½ एकड़ भूमि क्रेता मोहन खलखो पिता–श्री दालु खलखो, निवासी ग्राम–कांकुसी थाना– मुफ्फसिल चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के नाम पर नामांत्रण मु० सं० 41(M) 2014–15 द्वारा नामंत्रित है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 252, दिनांक 18. 03.2020 द्वारा कुर्सीनामा तथा विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इलाज एवं अन्य घरेलु कार्य हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता मोहन खलखो पिता–श्री दालु खलखो, निवासी ग्राम–कांकुसी थाना– मुफ्फसिल चाईबासा के पास 2,50,000/– (दो लाख पचास हजार रुपये) में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना मुफ्फसिल के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुन्डा का अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदित प्लॉट में शेष भूमि 2.50 एकड़ से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित है। अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी अंचल निरीक्षक अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुन्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता (1)बाल्डबिन चाम्पिया, पिता–स्व० आर्थर चाम्पिया एवं (2) रिजनोल चाम्पिया पिता–स्व० एवियल रोनाल्ड चाम्पिया ग्राम–तुईबीर, थाना मुफ्फसिल जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– तुईबीर थाना नं0 126 के अन्दर खाता न0 109, प्लॉट न0 1469 रकवा 0.07½ एकड़ भूमि को 2,50,000/– (दो लाख पचास हजार रुपये) में क्रेता मोहन खलखो पिता–श्री दालु खलखो, निवासी ग्राम–कांकुसी थाना– मुफ्फसिल चाईबासा जिला– पश्चिमी सिंहभूम के पास 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है। लेखापित 23/3 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। 23/03/2020 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Sunita All Work:// 1 TA MISS ORDER 18-19

Scanned with CamScanner